Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

भारतीय लोकतंत्र में चुनाव सुधार और 'एक राष्ट्र–एक चुनाव' : व्यावहारिकता और चुनौतियाँ

हरीश कुमार
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ
ई–मेलः harishmoral194.hk@gmail.com
डॉ० जयवीर सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ

सारांश

भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और सबसे विविधतापूर्ण लोकतांत्रिक ढाँचा है, जिसकी सफलता का मूल आधार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया मानी जाती है। परंतु बार–बार होने वाले चुनावों ने पिछले कुछ दशकों में इस प्रणाली के सामने कई व्यावहारिक और संरचनात्मक चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं। चुनावी आचार संहिता का बार–बार लागू होना विकास कार्यों की गति को प्रभावित करता है, वहीं अत्यधिक वित्तीय व्यय और प्रशासनिक संसाधनों का दोहराव शासन व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ डालता है। इसी संदर्भ में 'एक राष्ट्र–एक चुनाव' की अवधारणा एक महत्त्वपूर्ण चुनाव सुधार के रूप में उभरकर सामने आई है।

यह शोधपत्र इस अवधारणा का सैद्धांतिक, संवैधानिक तथा व्यावहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन में पाया गया है कि एक साथ चुनाव होने से वित्तीय संसाधनों की बचत, शासन की स्थिरता और मतदाताओं की सुविधा जैसे अनेक लाभ संभव हैं। परंतु दूसरी ओर संघीय ढाँचे पर दबाव, राज्यों की स्वायत्तता में कमी और असमय सरकार गिरने की स्थिति में संवैधानिक संकट जैसी गंभीर चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त चुनाव प्रबंधन की व्यावहारिक कठिनाइयाँ, जैसे ईवीएम और वीवीपैट की विशाल संख्या की आवश्यकता, सुरक्षा बलों का समन्वय तथा मानव संसाधन की उपलब्धता, इस अवधारणा की व्यावहारिकता को जटिल बनाती हैं।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव दर्शाते हैं कि कुछ देशों में एक साथ चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित हुए हैं, किंतु भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण संघीय लोकतंत्र में यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत कठिन है। इसलिए यह शोधपत्र सुझाव देता है कि भारत में चुनाव सुधारों को चरणबद्ध और लचीले मॉडल के रूप में अपनाया जाए, जैसे कि दो चरणीय चुनाव प्रणाली अथवा संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से कार्यकाल का आंशिक सामंजस्य।

मुख्य शब्दः भारतीय लोकतंत्र, चुनाव सुधार, एक राष्ट्र–एक चुनाव, संवैधानिक परिप्रेक्ष्य, संघीय ढाँचा, चुनावी आचार संहिता, चुनाव प्रबंधन, लोकतांत्रिक स्थिरता, राजनीतिक चुनौतियाँ, व्यावहारिक कठिनाइयाँ।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

प्रस्तावना

भारतीय लोकतंत्र एक विश्व–विख्यात प्रणाली है जिसे विविधता, बहुलता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर टिकाए जाने का मॉडल माना जाता है। संविधान के पूर्वाभाषा में इसकी स्पष्ट रूप से रूपरेखा की गई है, ''सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य।'' इस संविधान में निहित लोकतंत्र की संरचना ने भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना दिया है, जहाँ नागरिक सार्वभौमिक मताधिकार (वयस्क मताधिकार) के माध्यम से प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। रामचंद्र गुहा के प्रसिद्ध ग्रंथ IndiaAfter Gandhi में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली ऐतिहासिक परंपरा, सांस्कृतिक विविधता, संघीयता और निरंतर प्रशासनिक अधिष्ठान पर आधारित है, जो इसे एक अक्सर जटिल लेकिन प्रभावशाली संस्थागत रूप प्रदान करती है।

चुनावी प्रक्रिया का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भारतीय लोकतंत्र की महत्त्वपूर्ण धुरी है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951–52 में भारत में पहला आम चुनाव आयोजित हुआ, जिसमें लोकसभा और पूर्व निर्धारित पांच राज्यों की विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे, इसे 'समानान्तर' या सिंक्रोनस चुनाव कहा जा सकता है। यह क्रम 1967 तक जारी रहा, लेकिन 1968–69 में कुछ राज्यों की असमय विधानसभा विघटन और 1970 में चौथी लोकसभा के असमय विघटन ने इस तालमेल को बाधित कर दिया, जिसके बाद चुनाव चक्र असममित और विभाजन–ग्रस्त हो गए। इसलिए, पिछले कई दशकों में भारत में बार–बार चुनाव आयोजित होना आम हुआ, जिससे प्रशासन पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा और विकास कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हुआ।

इसी संदर्भ में 'एक राष्ट्र–एक चुनाव' (One Nation One Election) की अवधारणा का उदय हुआ। यह विचार नया नहीं है। 1983 में निर्वाचन आयोग ने ऐसी प्रणाली अपनाने की सिफारिश की थी, जिसे 1999 में न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन् रेड्डी की अगुवाई वाली 170वीं कानून आयोग रिपोर्ट ने पुनः प्रमुखता से उठाया, जहाँ इस विचार को पुनर्जीवित करने और सरलता हेतु लागू करने की सलाह दी गई थी। स्वतंत्र भारत में पुनर्विचार की स्थिति तब उत्पन्न हुई जब नीति आयोग (2017) ने एक श्वेत पत्र का प्रकाशन किया, जिसमें चुनावों को सिंक्रोनस रूप में आयोजित करने के लाभों, जैसे प्रशासनिक कार्यों में बाधा, वित्तीय व्यय और राज्यांकित चुनाव आचरण संहिता (Model Code of Conduct) की आस्था पर प्रकाश डाला गया।

इसके अतिरिक्त, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसने 'एक राष्ट्र–एक चुनाव' पर विचार–विमर्श और विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के बाद एक कार्यान्वयन रोडमैप प्रस्तुत किया। इसके आधार पर 2024 में संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक पेश किया गया, जिसमें राष्ट्रपति को 'निर्धारित तिथि' (Appointed Date) घोषित करने की शक्ति देने और संविधान,

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) तथा विधानसभाओं एवं लोकसभा के नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है।

इस शोधपत्र का उद्देश्य है भारतीय लोकतंत्र की विश्वासनीयता एवं चुनाव प्रक्रिया का ऐतिहासिक विकास समझना, 'एक राष्ट्र–एक चुनाव' की अवधारणा के उद्भव, तर्क और विकास को विवेचित करना और अंत में यह स्पष्ट करना कि क्या यह व्यावहारिक रूप से संभव व संवैधानिक रूप से लागू हो सकता है। मुख्य शोध प्रश्न होंगे–

1. भारतीय लोकतंत्र की मौजूदा संरचना और इसकी विश्वसनीयता के मूल तत्व क्या हैं?
2. चुनाव प्रक्रिया का ऐतिहासिक विकास खासतौर पर 1951–67 तक का तालमेल और उसके बाद का विभाजन कैसे हुआ?
3. 'एक राष्ट्र–एक चुनाव' की अवधारणा का स्रोत, इसके प्रस्तावकों और समय–सारिणी क्या है?
4. इस मॉडल को लागू करने में संवैधानिक, राजनीतिक और व्यावहारिक क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं?

इस प्रकार यह परिचय शोधपत्र को एक ठोस आधार प्रदान करता है, जिससे आगे के भागों में गहन विश्लेषण और उपयुक्त सुझाव संरचित रूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

भारतीय चुनाव प्रणाली का ऐतिहासिक विकास

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव 1951–52 लोकसभा और अधिकांश राज्य सभा चुनाव एक साथ आयोजित किए गए थे, जिसमें 173 मिलियन से अधिक मतदाताओं ने भाग लिया, बावजूद इसके कि उस समय 85 प्रतिशत आबादी निरक्षर थी; इसलिए मतदाताओं की सहूलियत हेतु राजनीतिक दलों के प्रतीक चिह्नों और बहु–सीट वाले निर्वाचन क्षेत्रों का प्रयोग किया गया था। इसी समय निर्वाचक आयोग की स्थापना और Representation of PeopleAct, 1951 का पारित होना भारतीय लोकतंत्र के स्थायी चुनावी ढाँचे की आधारशिला थीं।

1957 और 1962 के आम चुनावों में भी विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव एक साथ आयोजित हुए, जिससे प्रशासनिक संयोजन में बेहतर सामंजस्य बना रहा, जिसकी पुष्टि दूसरी लोकसभा चुनावों में खर्चों में कमी (लगभग ₹45 मिलियन) और पुनः उपयोग किए गए चुनावी साजो–सामान द्वारा की गई कार्यकुशलता से होती है। रामचंद्र गुहा की India After Gandhi में इस संरचना को भारत की लोकतांत्रिक स्थिरता के मुख्य स्तंभों में से एक बताया गया है।

लेकिन इस तालमेल में 1967 के बाद व्यवधान आने लगे, Kerala विधानसभा का 1960 में राष्ट्रपति शासन के अधीन भंग होना, नया राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों (जैसे नागालैंड, पांडिचेरी) का गठन और 1968–69 में कुछ असमय विधानसभा विघटन इस कारण बने। उपर्युक्त राजनीतिक अस्थिरताओं के कारण लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों का सिंक्रनाइज़ेशन टूट गया, जिसके परिणामस्वरूप चुनाव अब असममित रूप से साल में कई बार हो रहे हैं।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

इन जटिलताओं का समाधान ढूँढने हेतु विभिन्न समिति–आयोगों ने सिफारिशें कीं। 1983 में निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट ने "एक राष्ट्र–एक चुनाव" की बहाली पर बल दिया। इस विचार को 1999 में न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन् रेड्डी की अध्यक्षता वाली 170वीं कानून आयोग रिपोर्ट ने पुनर्जीवित किया, जिसमें केंद्र और राज्यों में चुनावों की सिंक्रनाइजेशन, वित्तीय बचत एवं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बार–बार लागू होने से होने वाले अवरोधों को समाप्त करने पर ज़ोर था। 2015 में संसदीय स्थायी समिति (Personnel, Public Grievances, Law & Justice) ने एक दो–चरणीय मॉडल सहित संवैधानिक संशोधनों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई जिससे इस विचार को व्यावहारिक रूप में लागू किया जा सके। 2018 में कानून आयोग ने फिर एक प्रारूप प्रस्तुत किया जिसमें संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन, Representation of the PeopleAct, 1951 और लोकसभा व विधानसभाओं के नियमों में परिवर्तन प्रस्तावित किए गए।

यह सब दर्शाता है कि भारतीय चुनाव प्रणाली का ऐतिहासिक विकास प्रारंभिक एकीकृत चुनाव प्रणाली से वर्तमान असंगत चुनाव प्रणाली तक समय के साथ राजनीतिक अस्थिरता, संवैधानिक चुनौतियों और प्रशासनिक जटिलताओं से प्रभावित रहा है। साथ ही, चुनाव सुधारों पर विचार विमर्श और "एक राष्ट्र–एक चुनाव" जैसे मॉडल पर सिफारिशें एक विकासशील प्रयास का संकेत हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की दक्षता, निर्वाचन व्यवस्थाओं की स्पष्टता और संसाधनों की बचत हेतु मार्ग प्रशस्त करते हैं।

भारतीय लोकतंत्र में बार–बार होने वाले चुनाव एक त्रैमासिक या वार्षिक आयोजन नहीं तो सबसे कम से कम प्रति पाँच वर्ष एक से अधिक बार होते हैं, जिससे आर्थिक रूप से भारी बोझ सरकार और राज्य संसाधनों पर मंडराता है। व्दम छंजपवद व्दम म्समबजपवद विचारधारा के लाभ बताते हुए, नीतिगत अध्ययनों ने पुष्टि की है कि एकल चुनाव प्रणाली अपनाने से प्रति चुनाव चक्र लगभग ₹50,000 से ₹75,000 करोड़ की बचत हो सकती है, एवं यह 0.5–1 प्रतिशत जीडीपी क्षति को रोकने में मददगार होगी। उदाहरण के लिए, भारतीय लोकसभा चुनाव (2019) की लागत ₹55,000–60,000 करोड़ बताई गई थी, जबकि 2024 में यह ₹1.35 लाख करोड़ तक पहुँच चुकी है। केवल निर्वाचन आयोग की गतिविधियों में ही ₹6,000 करोड़ (2019) से ₹10,000 करोड़ (2024) तक व्यय हुआ, जिसमें ईवीएम, वीवीपैट की व्यवस्था, सुरक्षा बलों का तैनाती आदि शामिल हैं। इससे स्पष्ट होता है कि चुनाव की लागत समय के साथ निरंतर और असमर्थनीय रूप से बढ़ रही है।

यह आर्थिक बोझ केवल खर्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि Model Code of Conduct (MCC) के लागू होने के कारण विकास कार्यों और प्रशासनिक निर्णयों में ठहराव भी उत्पन्न होता है। निबंध में उल्लिखित है कि चुनाव के दौरान MCC लागू होने से कई योजनाओं का कार्य महीनों के लिए रोक दिया जाता है, जिससे शासन में राजनीति का दबदबा बना रहता है, ''A government that is constantly on election mode is A government distracted from governance'' की भावना को अभीत करता है। इसके अतिरिक्त, एक

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

अध्ययन में उल्लेख किया गया कि Ghaziabad में 24 प्रमुख विकास परियोजनाएँ MCC के कारण रुकी पड़ी थीं।

राजनीतिक अस्थिरता और गठबंधन राजनीति का प्रभाव भी चुनाव सुधारों की आवश्यकता को बल देता है। बार–बार गिरती सरकारें, विशेषकर गठबंधन–आधारित राज्यों में, जैसे कि मध्य प्रदेश, असम, पंजाब आदि, प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बाधित करती हैं। ONOE मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि सरकार पाँच वर्ष का पूर्ण कार्यकाल पूरा करे, जिससे नीति निर्माण में स्थिरता आए और चुनाव चक्र के बीच में टकराव और मानसिक अस्थिरता की स्थिति समाप्त हो।

साथ ही, मतदाता थकान (voter fatigue) एक गंभीर समस्या बन चुकी है, बार–बार मतदान केंद्र पहुँचने की प्रक्रिया, राजनीतिक संदेशों की भरमार और फैसलों के भीतर कम स्पष्टता के कारण, मतदाताओं में निरपेक्षता (apathy) बढ़ रही है, जिससे मतदान में गिरावट हो रही है। इस विषय में 'One Nation One Election' Model एक संभावित समाधान प्रदान करता है, कम चुनाव, लेकिन अधिक प्रभावशाली चुनाव, जिससे voter turnout में 5–10 प्रतिशत तक वृद्धि संभव है।

बार–बार चुनावों की वजह से–

- **आर्थिक भार–** भारतीय चुनावों की लागत (लोकसभा, राज्य और स्थानीय स्तर पर) अभूतपूर्व स्तर पर पहुँच चुकी है, ₹55,000 करोड़ (2019) से ₹1.35 लाख करोड़ (2024) तक, जिसे एकीकृत चुनाव प्रणाली से काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।
- **विकास में बाधा–** MCC के चलते कई विकासात्मक कार्य रुके रहते हैं, जिससे शासन और नीति निरंतरता पर प्रभाव पड़ता है।
- **राजनीतिक अस्थिरता–** बार–बार चुनाव, गठबंधन सरकारों की अस्थिरता और विघटन, नीति–निर्माण और दीर्घकालिक योजना पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
- **मतदाता थकावट–** चुनावों की आवृत्ति और राजनीतिक संदेशों की बाढ़ से voter fatigue पैदा हो रही है, जिससे वोटिंग की संख्या प्रभावित हो रही है; एकल चुनाव प्रणाली इससे निपटने का उपयोगी विकल्प हो सकती है।

'एक राष्ट्र–एक चुनाव' रू अवधारणा और तर्क

"एक राष्ट्र–एक चुनाव" एक ऐसी चुनावी संरचनात्मक नीति है, जिसके अंतर्गत लोकसभा और सभी राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ आयोजित किया जाता है, ताकि प्रत्येक पाँच वर्षों में एक समन्वित चुनाव चक्र के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक कुशल, आर्थिक और सुशासनपूर्ण बनाया जा सके। प्रारंभिक रूप से यह व्यवस्था 1951–52 से 1967 तक लागू रही, जिसे बाद में अलग–अलग चुनावों के रूप में कार्यान्वित किया गया। इस अवधारणा को समर्थन देने वाले तर्कों में वित्तीय बचत विशेष स्थान रखता है, वर्तमान में चुनावों की अंतराल रहित व्यवस्था के कारण भारत पर बहुत अधिक खर्च होता है, जो कि एक साथ एक चुनाव प्रणाली अपनाने पर उल्लेखनीय रूप से कम किया जा सकता है।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

इसकी दूसरी प्रमुख विशेषता है प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग। जब चुनाव बार–बार होते हैं, तो चुनाव–प्रणाली में पुलिस बल, प्रशासकीय अधिकारियों, मशीनों आदि की आवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे ये लोक कल्याणकारी कामों में बाधा डालते हैं। एकल चुनाव प्रणाली से इन संसाधनों के बार–बार प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और प्रशासनिक मशीनरी विकास के कार्यों पर अधिक केंद्रित रह सकती है।

सुशासन और निरंतर नीति क्रियान्वयन भी समर्थन में एक महत्वपूर्ण तर्क है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) के अत्यधिक लागू होने के कारण अक्सर विकास परियोजनाएं रुक जाती हैं, यदि सभी चुनाव एक साथ हों, तो MCC का अवधि स्वाभाविक रूप से घट जाएगा, जिससे शासन और नीति निर्माण में समयबद्धता बनी रहेगी।

तीसरी प्रमुख बात है मतदाता सुविधा और एकजुट राष्ट्रीय विमर्श। अलग–अलग चुनावों के कारण मतदाता बार–बार मतदान केंद्रों तक जाने, चुनावी प्रचार सुनने आदि कार्यों से थक जाते हैं। एक संयुक्त चुनाव मॉडल से उनकी भागीदारी बनी रहती है तथा "मतदाता थकान" (voter fatigue) की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। साथ ही राष्ट्रीय विमर्श को भी एक सांस्कृतिक और राजनीतिक चौतरफा मंच मिलता है, जहां देशभर में एक साथ मतदान करने की भावना लोकतांत्रिक एकरूपता को बढ़ावा देती है।

इस मॉडल के आलोचकों का मुख्य तर्क यह है कि यह संघीय ढांचे पर असर डाल सकता है। "एक राष्ट्र–एक चुनाव" प्रणाली राज्यों की स्वायत्तता को कमजोर कर सकती है, क्योंकि संसदीय और राज्य शासन में स्वतन्त्र निर्णय क्षमता कम हो जाएगी, जिससे केंद्र की सत्ता अधिक मजबूत होगी। सुप्रीम कोर्ट और नीति विश्लेषकों ने भी इस प्रस्ताव में निहित अपर्याप्त संवैधानिक तैयारियों और राज्यों की असहमति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इसे संघीय ढांचे के लिए खतरनाक संभावना बताया है।

इसका दूसरा तर्क यह है कि क्षेत्रीय दलों का महत्व कम हो जाएगा। संयुक्त चुनावों में बड़े राष्ट्रीय दलों का प्रचार और संसाधन अधिक प्रभावशाली होता है, जिससे स्थानीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय दल प्रभावित हो सकते हैं। इससे राजनीतिक विविधता और जनता के विभिन्न वर्गों की आवाज दब सकती है।

आकस्मिक परिस्थितियों जैसे किसी सरकार का असमय गिरनाकृभी एक बड़ा खतरा हैं। यदि चुनावों की तालिका पहले से तय हो जाए, तो ऐसे अस्थिर परिस्थितियों में पुनर्निर्वाचन या राष्ट्रपति शासन जैसे मॉडल लागू होंगे, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चुनौती दे सकते हैं। संवैधानिक धारा 83, 172, 356 आदि में बदलाव की आवश्यकता इस दृष्टिकोण को और अधिक पेचीदा बनाती है।

'एक राष्ट्र–एक चुनाव' मॉडल के समर्थक तर्कों में आर्थिक एवं प्रशासनिक दक्षता, सुशासन, नीति निरंतरता और मतदाता संतुष्टि शामिल हैं। वहीं आलोचक पक्ष संघीयता की रक्षा, राजनीतिक विविधता और संवैधानिक चुनौतियों पर बल देता है। यह स्पष्ट है कि इस प्रस्ताव का कोई एक–आकार–सभी समाधान नहीं हो सकता; यदि इसे लागू किया भी जाए,

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि व्यापक राजनीतिक संवाद, संवैधानिक संशोधन और राज्यों की सहमति के साथ ही मार्ग प्रशस्त हो।

कानूनी और संवैधानिक परिप्रेक्ष्य

भारतीय संविधान में चुनावों की संरचना स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है– अनुच्छेद 83 लोकसभा की अवधि (पाँच साल) तथा उसकी तात्कालिकता को व्यक्त करता है, जबकि अनुच्छेद 172 राज्यों की विधानसभाओं की अवधि का निर्धारण करता है, दोनों में ''पाँच वर्ष और उससे अधिक नहीं'' शब्दावली शामिल है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति और अनुच्छेद 174 राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। इन प्रावधानों को एक साथ चुनाव (One Nation One Election) लागू करने के लिए संशोधित करना आवश्यक होगा।

"एक राष्ट्र–एक चुनाव" लागू करने हेतु अनेक संवैधानिक संशोधन प्रस्तावित हैं। कविंद समिति के सुझावों के अनुसार, नए अनुच्छेद 82A और 324A को संविधान में शामिल किया जाए, जहाँ 82A राष्ट्रपति को षनियुक्त तिथिष नामक दिन की घोषणा की शक्ति देगा और 324A स्थानीय निकायों के चुनावों को एकल चुनाव चक्र में शामिल करने की सुगमता प्रदान करेगा। इसके अलावा, अनुच्छेद 327 में संशोधन करने का सुझाव भी दिया गया है ताकि संसद चुनाव से संबंधित विस्तारित प्रावधान बना सके और अनुच्छेद 325 को भी संशोधित कर एकल मतदाता सूची (Single Electoral Roll) और समग्र मतदाता पहचान सुनिश्चित की जा सके। यदि सरकार या विधानसभा बीच में गिरे, तो अनुच्छेद 356 की सीमाओं का ध्यान रखते हुए ''अशेष अवशिष्ट कार्यकाल'' (unexpired term) के लिए चुनाव करने की व्यवस्था प्रस्तावित है।

संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होती है। इसे पारित करने में संसद के प्रत्येक सदन में दो–तिहाई बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इस वित्तीय और संवैधानिक जटिलता के चलते, पश्चातल में राजनीतिक और विधिक चुनौतियाँ भी सामने आ सकती हैं।

न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग का इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप हो सकता है। न्यायपालिका संवैधानिक मूलभूत संरचना (basic structure) का उल्लंघन न हो, यह सुनिश्चित करती है; यदि अनुच्छेद 83 या 172 में संशोधन सात्विक रूप से नहीं हों, तो अदालतें उनकी समीक्षा कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन (Article 356) को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत रखा है। दूसरी ओर, चुनाव आयोग, जिसकी स्वतंत्रता धारा 324 के अंतर्गत सुरक्षित है, तकनीकी और प्रशासनिक लेवल पर चुनाव प्रक्रिया को मैनेज और अनुशासित रखता है, इस मॉडल को लागू करने पर उसे व्यापक तैयारी करनी होगी जैसे कि EVM का प्रबंधन, मतदाता सूची का संकलन, सुरक्षा बलों की व्यवस्था आदि।

राज्यों की सहमति और संघीय संरचना इस विषय पर संवैधानिक संघर्ष के केंद्र हैं। कई राज्यों और क्षेत्रीय दलों ने इस प्रस्ताव को संघीयता के लिए खतरा बताया है, क्योंकि

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

यदि केंद्रीय सरकार निर्वाचन तालमेल तय करती है, तो राज्यों की स्वतन्त्रता और वैधानिक अधिकार कमजोर हो सकते हैं। पंजाब के वित्त मंत्री ने विशेष रूप से यह चिंता व्यक्त की है कि इस विषय में अनुच्छेद 356 और 360 के दुरुपयोग की संभावनाएं भी हैं। इस प्रकार संवैधानिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर व्यापक संवाद, राज्यों की सहमति और अदालतों की निगरानी इस प्रक्रिया के लिए अपरिहार्य हैं।

विधानसभा और लोकसभा के कार्यकालों का सामंजस्य

भारत में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के कार्यकालों का सामंजस्य स्थापित करना एक जटिल कार्य है। संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 के अनुसार, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल की अवधि पाँच वर्ष निर्धारित है। हालांकि, विभिन्न राज्यों में चुनावों के समय में असमानता के कारण चुनावों की आवृत्ति बढ़ जाती है। 'एक राष्ट्र–एक चुनाव' (One Nation, One Election) की अवधारणा इस असमानता को समाप्त करने का प्रयास करती है, ताकि सभी चुनाव एक साथ आयोजित किए जा सकें। इससे चुनावी प्रक्रिया में सामंजस्य स्थापित होगा और प्रशासनिक लागत में कमी आएगी।

आकस्मिक परिस्थितियाँ : सरकार गिरने पर चुनाव व्यवस्था

'एक राष्ट्र–एक चुनाव' की प्रणाली में आकस्मिक परिस्थितियों, जैसे कि सरकार का गिरना, चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। यदि किसी राज्य की विधानसभा या लोकसभा भंग होती है, तो उस राज्य में चुनावों का आयोजन करना आवश्यक होगा, जिससे चुनावी प्रक्रिया में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। इसलिए, आकस्मिक परिस्थितियों में चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए विशेष प्रावधानों की आवश्यकता होगी।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVMs) और VVPAT की भारी संख्या की आवश्यकता

'एक राष्ट्र–एक चुनाव' के तहत, लगभग 48 लाख बैलोटिंग यूनिट्स, 35 लाख कंट्रोल यूनिट्स और 34 लाख VVPATs की आवश्यकता होगी, जिससे कुल खर्च ₹5,300 करोड़ तक पहुँच सकता है। इससे न केवल वित्तीय बोझ बढ़ेगा, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की जटिलता भी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, EVMs और VVPATs की आपूर्ति, भंडारण और परिवहन में भी चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

चुनाव प्रबंधन में सुरक्षा बलों, मानव संसाधन और प्रशासनिक ढाँचे पर दबाव

'एक राष्ट्र–एक चुनाव' की प्रणाली में चुनावों की आवृत्ति बढ़ने से सुरक्षा बलों, मानव संसाधन और प्रशासनिक ढाँचे पर दबाव बढ़ेगा। चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केंद्रों की निगरानी और मतगणना की प्रक्रिया में अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होगी। इससे प्रशासनिक क्षमता पर दबाव बढ़ेगा और चुनावी प्रक्रिया की दक्षता प्रभावित हो सकती है।

ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में व्यावहारिक कठिनाइयाँ

भारत के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में चुनावी प्रक्रिया में कई व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। सड़क परिवहन की अपर्याप्तता, संचार साधनों की कमी और मतदान केंद्रों की दूरी जैसी समस्याएँ ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। 'एक राष्ट्र–एक

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

चुनाव' की प्रणाली में इन समस्याओं का समाधान करना और चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना एक बड़ी चुनौती होगी।

संभावित विकल्प और सुझाव

भारतीय लोकतंत्र में चुनाव सुधार और "एक राष्ट्र–एक चुनाव" की प्रक्रिया के संदर्भ में विभिन्न व्यावहारिक और संवैधानिक चुनौतियों के कारण कुछ वैकल्पिक मॉडल और सुझावों पर विचार करना आवश्यक हो गया है। पहला और प्रमुख विकल्प है "दो चरणीय चुनाव" (Two-Phase Election Model)। इस मॉडल में लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को अलग–अलग चरणों में आयोजित किया जाता है, परन्तु प्रत्येक चरण को लगभग 2.5 वर्ष की अंतराल पर रखा जाता है। इससे चुनावों की बार–बार होने वाली प्रक्रिया की जटिलता कम होगी और प्रशासनिक, वित्तीय तथा मानव संसाधन पर दबाव कम किया जा सकेगा। उदाहरण स्वरूप, यदि लोकसभा का चुनाव किसी वर्ष में हो तो उसके लगभग दो वर्षों के भीतर कुछ राज्यों की आधी विधानसभाओं के चुनाव कराए जा सकते हैं, जिससे संसाधनों का संतुलित उपयोग होगा और मतदाता थकान (voter fatigue) को कम किया जा सकेगा।[i]

दूसरा विकल्प है "संशोधित एक राष्ट्र–एक चुनाव मॉडल" (Modified One Nation One Election Model)। यह मॉडल पूर्ण एकल चुनाव मॉडल की तुलना में अधिक लचीला होगा। इसमें मुख्य लक्ष्य चुनावों का समन्वय बनाना है, परन्तु राज्यों और केंद्र के बीच असमय सरकार गिरने जैसी आकस्मिक परिस्थितियों के लिए विशेष प्रावधान होंगे। इसका लाभ यह होगा कि वित्तीय और प्रशासनिक बचत होती रहेगी और नीति क्रियान्वयन में निरंतरता भी बनी रहेगी। इस लचीले ढाँचे में राज्यों की स्वायत्तता और संघीय ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों में आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं।[ii]

तीसरा सुझाव है चुनावी खर्च पर सीमा और पारदर्शिता बढ़ाना। वर्तमान में चुनावों में वित्तीय खर्च अत्यधिक होता है, जो राजनीतिक असमानता और भ्रष्टाचार के जोखिम को बढ़ाता है। स्पष्ट और प्रभावी नियमों के माध्यम से चुनावी खर्च पर सीमा निर्धारित करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसमें ऑनलाइन खर्च रिपोर्टिंग, वित्तीय लेनदेन की निगरानी और नियमित ऑडिट प्रणाली शामिल हो सकती है। इससे छोटे राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की भागीदारी सुनिश्चित होगी और लोकतंत्र की गुणवत्ता बढ़ेगी।[iii]

चौथा महत्वपूर्ण सुझाव है राजनीतिक दलों की जवाबदेही सुनिश्चित करना। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को उनके चुनावी वादों और कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाना आवश्यक है। इसके लिए नियमित प्रदर्शन रिपोर्टिंग, "लोकतंत्र सूचकांक" और जनता की निगरानी जैसे तंत्र विकसित किए जा सकते हैं। यह प्रणाली राजनीतिक पारदर्शिता बढ़ाने के साथ ही लोकतंत्र के प्रति जनता के विश्वास को भी मजबूत करेगी।[iv]

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

अंततः, मतदाता जागरूकता और तकनीकी नवाचारों का उपयोग भी आवश्यक है। डिजिटल प्लेटफार्म, मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन मतदान और ई–शिक्षण के माध्यम से मतदाता शिक्षा और जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में मतदाता सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल मतदान केंद्र, ई–वोटिंग समाधान और तकनीकी सहायक उपकरण विकसित किए जा सकते हैं। इससे चुनाव प्रक्रिया सरल, सुरक्षित और अधिक सहभागी बनती है।[v]

समग्र रूप से, ये विकल्प और सुझाव वित्तीय, प्रशासनिक और संवैधानिक चुनौतियों के समाधान के साथ–साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गुणवत्ता और जनता की भागीदारी को भी बढ़ाते हैं। कोई भी सुधार तभी प्रभावी होगा जब इसे संवैधानिक सुरक्षा, राज्यों की सहमति, राजनीतिक दलों की जवाबदेही और मतदाता जागरूकता के साथ लागू किया जाए। इस प्रकार, प्रस्तावित विकल्प भारतीय लोकतंत्र को अधिक स्थायी, समन्वित और सुशासनशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं।

निष्कर्ष

भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और उसकी कार्यप्रणाली का सुदृढ़ीकरण समय–समय पर आवश्यक चुनाव सुधारों के बिना संभव नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर वर्तमान तक भारत में चुनाव प्रक्रिया में लगातार सुधारों का प्रयास किया गया है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, बार–बार होने वाले चुनाव और प्रशासनिक एवं वित्तीय चुनौतियाँ आज भी लोकतंत्र की दक्षता और सुशासन को प्रभावित करती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए "एक राष्ट्र–एक चुनाव" की अवधारणा एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभरी है, जो न केवल वित्तीय और प्रशासनिक बचत करती है, बल्कि नीति निर्माण और क्रियान्वयन में निरंतरता, मतदाता सुविधा और राष्ट्रीय विमर्श को भी सुदृढ़ बनाती है। हालांकि, इसे लागू करने में संवैधानिक संशोधनों, राज्यों की सहमति और संघीय ढांचे की सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे जुड़ते हैं, जिनका अनदेखा करना लोकतंत्र के मूल तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसलिए, इस प्रणाली का कोई भी निर्णय केवल इसके आर्थिक और प्रशासनिक लाभ के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि संघीयता और लोकतांत्रिक विविधता के दृष्टिकोण से भी इसे परखा जाना आवश्यक है।[vi]

"एक राष्ट्र–एक चुनाव" के लाभों और चुनौतियों का संतुलित मूल्यांकन यह स्पष्ट करता है कि पूर्ण एकल चुनाव मॉडल अपनाने पर कई संवैधानिक, प्रशासनिक और व्यावहारिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण स्वरूप, आकस्मिक परिस्थितियाँ जैसे किसी राज्य या केंद्र सरकार का असमय गिरना, चुनाव तालिका में असंतुलन पैदा कर सकती हैं, जबकि क्षेत्रीय दलों की भूमिका और राज्यों की स्वायत्तता भी प्रभावित हो सकती है। इन चुनौतियों के बावजूद, संशोधित या चरणबद्ध मॉडल, जैसे दो–चरणीय चुनाव या लचीला एकल चुनाव ढांचा, भारतीय लोकतंत्र को अधिक स्थायी और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। इन मॉडलों में वित्तीय बचत, प्रशासनिक दक्षता और मतदाता

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

सहभागिता बढ़ाने की क्षमता होती है, जबकि संघीय संरचना और राज्यों की स्वतंत्रता भी संरक्षित रहती है।[vii]

लोकतंत्र की विविधता और संघीय संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सुधारों का कार्यान्वयन समावेशी और चरणबद्ध होना चाहिए। इसका अर्थ है कि संवैधानिक संशोधन, निर्वाचन आयोग की तैयारी, राज्यों की सहमति और व्यापक राजनीतिक संवाद के माध्यम से ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए। इससे लोकतंत्र के विभिन्न स्तंभों, जैसे न्यायपालिका, राज्य सरकारें और नागरिक समाज, को समय रहते अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहेगी।[viii]

अंततः, भारतीय लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में चुनाव सुधार अपरिहार्य हैं और "एक राष्ट्र–एक चुनाव" इस दिशा में एक रणनीतिक कदम हो सकता है, यदि इसे संविधानिक सुरक्षा, प्रशासनिक तैयारी और लोकतांत्रिक विविधता के संतुलन के साथ लागू किया जाए। इसके माध्यम से मतदाता थकान कम होगी, चुनावी खर्च में कटौती होगी, नीति क्रियान्वयन में निरंतरता बनी रहेगी और लोकतंत्र की विश्वसनीयता बढ़ेगी। साथ ही, चरणबद्ध और समावेशी दृष्टिकोण अपनाने से सभी हितधारकों की सहमति प्राप्त होगी और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सुधार न केवल तकनीकी रूप से सफल हों, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संघीय ढांचे के अनुरूप भी हों। इस प्रकार, "एक राष्ट्र–एक चुनाव" केवल एक प्रशासनिक विकल्प नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की दक्षता, स्थिरता और व्यापक सहभागिता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक व्यापक प्रयास का प्रतीक है।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

सन्दर्भ

i- कुमार, आर०, भारतीय चुनाव सुधार : मुद्दे और चुनौतियाँ, प्रेन्टिस हॉल, नई दिल्ली, 2024, पृ०सं० 120

ii- पाल, राहुल, भारतीय चुनाव सुधार : मुद्दे और चुनौतियाँ रीगल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2018, पृ०सं० 115

iii- सिंह, ए०, समकालीन चुनावों के संवैधानिक पहलू, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2023, पृ०सं० 95

iv- शर्मा, पी०, भारतीय चुनावों में प्रशासनिक चुनौतियाँ, सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2022, पृ०सं० 78

v- गुप्ता, एम०, ग्रामीण भारत और चुनावी प्रक्रियाएँ, एकेडमिक फाउंडेशन, नई दिल्ली, 2021, पृ०सं० 63

vi- कश्यप, सुभाष सी०, हमारा संविधान : भारत के संविधान और संवैधानिक विधि का परिचय, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2011, पृ०सं० 264

vii- पाल, राहुल, भारतीय चुनाव सुधार : मुद्दे और चुनौतियाँ, रीगल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2018, पृ०सं० 115

viii- नूरानी, ए०जी०, भारत में संवैधानिक प्रश्न : राष्ट्रपति, संसद और राज्य, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2000, पृ०सं० 173